

शुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५११-एस-डी/१६-ए-१२१६ (एस-डी)-५९-उत्तर प्रदेश गण्ड (भाग १), विभाग १ जनवरी, १९६० ई० के उपपत्र संख्या ३२ पर प्रकाशित विभागीय संख्या ६७९७ (एस-एम)/१६-ए-१२१६ (एस-एम)-५९, विभाग २ जनवरी, १९६० ई० में शब्द "गुणवत्ता-डिटे इन्फोमिटर" के स्थान पर शब्द "गुणवत्ता-डिटे इन्फोमिटर" रहिये।

भारत से
दूरता चक्र चरहेगा,
सचिव।

वन विभाग

विधि

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४-३११-४०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि ईडिमन फारेस्ट एक्ट, १९२७ (एक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अंतर्गत अर्पित जाय तथा अभिलेख शर्तों में इतना अधिक समय लागेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारी को क्षति हो सकती है।

अतएव अर्पित उपधारा के प्रतिपाद्य द्वारा और अर्पित एक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार की तर्प अभिलेख करने तक उक्त एक्ट के प्रभाव व के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम संयुक्त	दूरी मील, कर्जाक और फीटों में	विवरण
१-मेरठ रोड	१-मेरठ-बागपत रोड	३ मील से ३१ मील २ फु०	भूमि की सीमा परंपरी द्वारा संकित की गई है।
	२-बागपत-सहारनपुर	१ मील से २४ मील २ फु०	"
	३-बागपत-मोती-सातबरा	शून्य से १७ मील २ फु० २६० फीट तक	"
	४-मेरठ-मुआना	२ मील से १७ मील	"
	५-मेरठ-मुआना	२ मील से २९ मील तक	"
	६-डी० आर० एम० रोड-	४१ मील से ५५ मील	"
	७-डी० डी० रोड	८७० मील से ८७१ मील	"
	८-बागपत-बनसडीकरी	१ मील से ६ मील	"
	९-मुआना-रेलवे	शून्य से २ फु० १०६ फीट तक	"
	१०-मोतीनगर-रेलवे फीडर	शून्य से ३५० फीट तक	"
	११-मोतीनगर-रेलवे फीडर	शून्य से ४ फु० १० फीट तक	"
	१२-मेरठ-सहरना रोड	२.४२६ से १२.३.३२०	"
	१३-डरेला-सहरना रोड	०.०.० से ६.५.२६०	"
	१४-बनसडीकरी-सोनागढ़ रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फु० २०० फीट तक	"
	१५-मेरठ-बनसडीकरी	१ से ९ मील	"
	१६-मेरठ-बनसडीकरी	२३ मील से ३१ मील ३ फु० २०० फीट तक	"
	१७-मेरठ-बनसडीकरी सं० २४	२८ मील ६ फु० से ८ फु० तक ३ मील १ फु० से ३ फु० तक	"
	१८-डी० डी० रोड-गाथीपुर से उत्तर प्रदेश गण्ड	८७४ मील ५५८ फु० से ८७५ मील २ फु० ७० फीट तक	"
	१९-गाथीपुर-हापुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फु० २५९ फीट तक	"
	२०-हापुर-हापुर रोड	१ मील ४८५ फीट से १९ मील ४ फु० ७० फीट तक	"
२-मुजफ्फरनगर	१-डी० आर० एम० रोड	५६ मील से ९१ मील	"
	२-जसी-जस-पिस-विजयपुर	२४ मील ६ फु० से २ मील ३१ फीट तक	"
	३-मुजफ्फरनगर-शामली-रौना	२ मील से ३१ मील	"
	४-मुजफ्फरनगर-हापुर	७७ मील से १० मील	"
	५-मुजफ्फरनगर-विजयपुर	७२ मील से २१ मील तक	"
	६-मोती-बनसडीकरी	शून्य से ३ मील तक	"
	७-मुजफ्फरनगर-मुआना-रोड	७ मील तक	"
	८-मुजफ्फरनगर-बागपत-सहारनपुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फु० तक	"

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

जिला कार्यालय, (अ. 129 भागवत) 12.10.1951 (मि. 101) (अ. 129 भागवत)

भाग 1

क्र.सं.	नाम	विस्तार	मौज, फ. और किंवा तर्क	विशेष
1	लखनऊ-बानारस रोड		मौ. 125 से मौ. 148 तक	भूमि की सीमा परंपरी द्वारा संकित की गयी है।
2	बावसाहपुर, रेलवे फीड रोड		ग्राम से 2 फ. 284 फीट तक	"
3	मिर्जापुर-जौनपुर रोड		1 मौल 3 " 266 "	"
4	लखनऊ-बलिया रोड		24 " 1 " 100 "	"
5	जौनपुर-शाहगंज-अपवापुर-मेलघई तक		16 " 4 " 146 "	"
6	इलाहाबाद-गोरखपुर रोड		28 " 6 " 400 "	"
7	मछलीशहर-बंजर रोड		9 " 1 " 491 "	"
8	जौनपुर-प्रतापगढ़ रोड		12 " "	"
9	बालासराय-बीवार रोड		24 " से 20 मौल 6 फ. 460 फीट तक	"
10	अकबरपुर-संगेहम रोड		ग्राम से 6 मौल 4 फ. 140	"
11	शाहगंज-तनुलिया रोड		" " 1 " 3 " 440 "	"
12	जौनपुर रेलवे स्टेशन रोड		" " 3 " 3 " 460 "	"
13	अर्धपुर काठसौं		" " 3 फ. 269 फीट तक	"
14	सरायबाल-पघाई रोड		4 फ. 03 फीट से 3 फ. 20 फीट तक	"
15	धुबपुर रेल रोड		ग्राम से 4 मौल 4 फ. 409	"
16	मरठु, रेलवे फीड रोड		" " 2 फ. 122	"
17	बनारस-आलमगढ़ रोड		" " 1 " 440	"
18	बनारस-बलिया रोड		" " 22 मौल 1 फ. 491	"
19	बनारस-बलिया रोड		मौल 1 से मौल 4 तक	"
20	बनारस-बलिया रोड		1 मौल 3 फ. तक	"
21	बनारस-बलिया रोड		20 से 40 मौल तक	"
22	बनारस-बलिया रोड		44 से 64 मौल तक	"
23	बनारस-बलिया रोड		40 से 60 मौल तक	"
24	बनारस-बलिया रोड		1 से 2 (को 2) तक	"
25	बनारस-बलिया रोड		2 से 14 मौल तक	"
26	बनारस-बलिया रोड		1 से 4 1/2 मौल तक	"
27	बनारस-बलिया रोड		3 से 3 मौल 4 फ. तक	"
28	बनारस-बलिया रोड		विशेष 12 (मौल तक)	"
29	बनारस-बलिया रोड		1 से 20 मौल तक	"
30	बनारस-बलिया रोड		1 से 1 मौल तक	"
31	बनारस-बलिया रोड		493 से 490 मौल तक	"
32	बनारस-बलिया रोड		1 से 43 मौल तक	"
33	बनारस-बलिया रोड		1 से 4 मौल तक	"
34	बनारस-बलिया रोड		मौल 1 से मौल 20 तक	"
35	बनारस-बलिया रोड		मौल 1 से मौल 12 तक	"
36	बनारस-बलिया रोड		मौल 423 से मौल 420 तक	"
37	बनारस-बलिया रोड		मौल 1 से मौल 4 तक	"

दाया प्रो. प्रमाणित

प्रभागीक वनेधिकरी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

09.02.51

Manager (Tech.)
PIU, Varanasi

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

सेवा निवृत्ति

29 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 3572-83-335-83—डॉ० बसन्त कुमार लोहानी, प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को 58 वर्ष की अधिकवयता आयु प्राप्त करने के बाद दिनांक 30 सितम्बर, 1983 को अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
सचिव।

उद्योग विभाग

अनुभाग-1

संशोधन

23 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 4364-आर/18-1-193-आर-83—कतिपय संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों/सामान्य प्रबन्धकों के स्थानान्तरण विषयक विज्ञापितियों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:—

(1) विज्ञापित संख्या 3351-आर/18-1-315-आर-81, दिनांक 28 जून, 1983 के क्रम संख्या 1 एवं 3 के क्रमशः स्तम्भ 3 एवं 4 में "स्टोर पर्वज" शब्द निकाल दिया जाय।

(2) विज्ञापित संख्या 3352-आर/18-1-193-आर-83, दिनांक 28 जून, 1983 के क्रम संख्या 4 के स्तम्भ 3 में "उप उद्योग निदेशक (स्टोर पर्वज)" के स्थान पर "केन्द्रीय नियंत्रक (गुण चिन्हकित योजना)" एवं क्रम सं० 9 के स्तम्भ 4 एवं 10 के स्तम्भ 3 में "उप उद्योग निदेशक (जि० उ० के०)" के स्थान पर "उप उद्योग निदेशक (सा० के०)" पढ़ा जाय।

(3) विज्ञापित संख्या 3615-आर/18-1-193-आर-83, दिनांक 13 जुलाई, 1983 के क्रम संख्या 3 के कालम 3 में "उप उद्योग निदेशक (जि० उ० के०)" के स्थान पर "उप उद्योग निदेशक (सा० के०)" तथा क्रम संख्या 6 के कालम 4 में "(जिला उद्योग केन्द्र) मुख्यालय कानपुर" के स्थान पर "उप उद्योग निदेशक (सा० के०)" पढ़ा जाय। उक्त विज्ञापितियों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
सुभग कुमार भादवल,
सचिव।

श्रम विभाग

अनुभाग-1

विविध

27 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 6320(एस०टी०)/36-1-492(एस०टी०)-80—चूंकि राज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है:—

अतएव, संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 (1947 ई० का ऐक्ट संख्या 28) की धारा 2 के खंड (अ) के उप खंड (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त ऐक्ट के प्रयोजन हेतु मेसर्स इंडियन टेलीफोन के इंडस्ट्रीज नैनी, इलाहाबाद को इस अधिसूचना के निगत होने के तिथि से अगामी 6 मास के लिये "सार्वजनिक उपयोगिता का सेवा" घोषित करते हैं और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा 19 के प्रयोजन हेतु यह भी निदेश देते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकरी गजट में प्रकाशित करके दी जाये।

28 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 6326 (एस०टी०)/36-1-1653(एस०टी०)-82—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 (सं० प्रा० ऐक्ट सं० 28, 1947) की धारा 6-ग के प्रथम उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मेसर्स डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ तथा उनके श्रमिकों के मध्य औद्योगिक विवाद में औ० न्याय (4), लखनऊ द्वारा दिये गये दिनांक 3 जुलाई, 1982 के पंच न्याय (अभि-देश/वाद संख्या 7/82), जो दिनांक 8 जुलाई, 1983 को न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर सरकारी आदेश संख्या 3020 (एस०टी०)/36-1-82, दिनांक 8 जुलाई, 1982 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया के लागू रहने की अवधि को उसके समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के लिये विस्तारित करते हैं।

आज्ञा से,
बी० डी० बहुगुणा,
उप सचिव।

वन विभाग

अनुभाग-2

अधिसूचना

20 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 1578/14-2-20(12)-83—अधिसूचना संख्या 23(2)-96-14-ख-67, दिनांक 18 मई, 1968 द्वारा लकी लिखित अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम के द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं।

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

— उत्तर प्रदेश अध्यापन समिति, वाराणसी, १९७० ई० (अप्रकाशित ३०, १९६२ तक संवत्)

२२ जुलाई, १९७० ई०

२२१०/१४-उ-२०(४०)-३०-अभिज्ञान संख्या २३ (२)-२०-१४-ज-१०, दिनांक २४ जुलाई, १९६० से संसार
भारत के 'क' में विद्यमान भूमि की दृष्टिकोण आरम्भ हेतु, १९७० (संशोधन संख्या १६, १९६०) में उपांग, रचित वगैरे का
प्रकाश किया गया था।

उपरोक्त भूमि में अविद्यमान की दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिये उक्त संशोधन द्वारा निम्नलिखित प्रथम सफल हो गयी है:

कुछ ही दूरी वाले स्थानों पर ही भूमि है, किन्तु अनुसूची 'क' में ही सभी सीमा तक विद्यमान ही गयी है।

अतः, उक्त संशोधन की धारा २० के अन्तर्गत अविद्यमान का प्रयोग करने, राज्यपाल दिनांक २१ जनवरी, १९७१
में अनुसूची 'क' में उचित रूप से उक्त भूमि को संशोधन वगैरे करवाये है:

अनुसूची 'क'

मीरजापुर, बिदरवा, मुद्रवा, वरसिया, रसवा, मुजवा, अतरौरी, अमपुरा, अमपुरा, मधुपुर, बेंकनीया, अतरौरी

मीरजापुर (मीरजापुर के निकट)

वगैरे का भी विषय और क्षेत्रफल

विकास का नाम	सूची का नाम	परतमा का नाम	घर का नाम	क्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६
मिर्जापुर	मिर्जापुर	वसिया	मीरजापुर	१६६३/२	१६० १६ ०
				१६६३/२	२०१ ० ४
				१६६३/२	५ ५६ ०
			मिर्जापुर	२०६-वि०	४० ६ ०
			मुद्रवा वरसिया	२०२	३ १२ ०
				२०३	१ १४ ०
				२०४	१ १० ०
			वरसिया	११	४४ ४ ०
				१२	४० ० ०
				१३	२४ ३ ०
				१४	२४ ३ ०
			रसवा	४२२/२	१०६ ४ ०
				४२४/२	० ४ ०
			मुजवा	१-वि०	३ १० ०
				२-वि०	३६ १ १०
				३-वि०	१४ १ १२
				४-वि०	१२० १४ ०
				५-वि०	२४ ४ ०
				६-वि०	० १२ ०
				७-वि०	११ ० ०
				८-वि०	२० १४ ०
				९-वि०	० १२ ०
				१०-वि०	० १२ ०
				११-वि०	० १२ ०
				१२-वि०	० १२ ०
				१३-वि०	० १२ ०
				१४-वि०	० १२ ०
				१५-वि०	० १२ ०
				१६-वि०	० १२ ०
				१७-वि०	० १२ ०
				१८-वि०	० १२ ०
				१९-वि०	० १२ ०
				२०-वि०	० १२ ०
				२१-वि०	० १२ ०
				२२-वि०	० १२ ०
				२३-वि०	० १२ ०
				२४-वि०	० १२ ०
				२५-वि०	० १२ ०
				२६-वि०	० १२ ०
				२७-वि०	० १२ ०
				२८-वि०	० १२ ०
				२९-वि०	० १२ ०
				३०-वि०	० १२ ०
				३१-वि०	० १२ ०
				३२-वि०	० १२ ०
				३३-वि०	० १२ ०
				३४-वि०	० १२ ०
				३५-वि०	० १२ ०
				३६-वि०	० १२ ०
				३७-वि०	० १२ ०
				३८-वि०	० १२ ०
				३९-वि०	० १२ ०
				४०-वि०	० १२ ०

हार्थ प्रतिक्रिया
प्रशासक
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

Manager (Tech.)
PIU, Varanasi

उत्तर प्रदेश गव्ह, 3 दिसम्बर, 1977 ई० (अप्रहोपण 12, 1990 एक संवत्)

[भाग 1

4 नवम्बर, 1977 ई०

नं० 3776/14-3-20 (49)-77-जमिन्दार संख्या 23 (3)/9-48-14-क-68, दिनांक 30 जुलाई, 1968 द्वारा
अपेक्षित अनुसूची 'क' में निविदा भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन, आरक्षित
वन वनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और वन भूमि में सम्पत्तियों के शायों को प्रस्तुत करने के लिये वन अधिनियम द्वारा निविदा अधीन समाप्त की गयी है;

और ऐसे कोई शाये स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची 'क' में दी गयी सीमा तक रियायतें की गयी हैं;

अतः, वन अधिनियम की धारा 20 के अधीन उचितों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 1977
में अनुसूची 'क' में उचितित वन भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं।

अनुसूची "क"


दांड वन क्लस

स्थिति एवं क्षेत्रफल

जिला	तहसील	परगना	घास का नाम	गहा संख्या	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मीरजापुर	मीरजापुर	कंसित	दांड	87-भाग	59 10 0	वेदा कि विस्तृत सीमा विवरण में अंकित है।
				168-भाग	10 19 15	
				170-भाग	1 11 0	
				267-भाग	35 9 0	
				268-भाग	19 8 0	
				269	5 3 0	
				270-भाग	15 17 0	
				278	1 1 0	
				683-भाग	6 13 0	
				693-भाग	25 4 0	
				697-भाग	3 9 0	
				706	0 19 0	
				707	0 14 0	
				708-भाग	1 16 0	
				709	1 11 0	
				710-भाग	1 9 0	
				711	30 3 0	
				712-भाग	3 18 0	
				721-भाग	1 11 0	
				724	0 13 0	
				725	1 9 0	
				726-भाग	0 14 0	
				729	5 19 0	
				733	0 9 0	
				734	0 4 0	
				735	0 2 0	
				736	0 3 0	
				737	0 3 0	
				738-भाग	10 12 0	
				739	0 2 0	
				740	0 1 0	
				741	0 17 0	
				745	0 6 0	
				747-भाग	0 3 0	
				748	0 7 0	
				749-भाग	3 1 0	
				750	0 17 0	

दांडा प्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर



Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

सं. ११८८, ३१ नवम्बर, १९९६ रोज, पृष्ठ ३, १९९६ वर्ष १९९६

क्र.सं.	विवरण	मि.	पै.	रु.
१	१-१९९६	१६	१०	०
२	२-१९९६	१	०	०
३	३-१९९६	३	०	०
४	४-१९९६	४	१०	०
५	५-१९९६	५	०	०
६	६-१९९६	७०	०	०
योग		९९	२०	०
		४१		
		२९.२५		
		१९९६		
१	१	३	१	०
२	२	६	१५	०
३	३	१	१५	०
४	४	१	३	०
५	५	१	१५	०
६	६	३	१०	०
७	७	३	१	०
८	८	१०	१०	०
९	९	६	१०	०
१०	१०	३	११	०
११	११	९	३	०
१२	१२	३	३	०
१३	१३	१	३	०
१४	१४	१	४	०
१५	१५	६	१३	०
१६	१६	३	७	०
१७	१७	२१	७	०
१८	१८	२	१०	०
१९	१९	८	१२	०
२०	२०	६	३	०
२१	२१	१	६	०
२२	२२	१	३	०
२३	२३	१	१३	०
२४	२४	१	१५	०
२५	२५	१	१५	०
२६	२६	१	३	०
२७	२७	०	१२	०
२८	२८	१	१२	०
२९	२९	२	३	०
३०	३०	३	३	०
३१	३१	३	३	०
३२	३२	३	३	०

हाका प्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर



Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

5174 उत्तर प्रदेश राज्य, 31 दिसम्बर, 1958 ई. (कॉलेज) 0, 1950 तक का

1	2	3	4	5	6
मीरजापुर	मीरजापुर	प्रति	मासिक	सो	रि
				33	1 4
				34	1 9
				35	2 10
				36-मास	37 10
				37	0 13
				38-मास	3 4
				40 मास	6 14
				43	1 8
				44	3 18
				45	46 4
				46 मास	9 15
				47	10 5
				48	1 3
				49	1 14
				50	2 6
				51	1 7
				52	1 0
				53	3 2
				54	1 10
				55	0 14
				56	6 13
				57	1 0
				58	1 4
				59	3 4
				60	0 13
				61-मास	6 0
				17/563	9 3
				50/560	5 1
				सो	266 19
					रि
					166.85
					रुप
				सम्पूर्ण सो	4394 4
					रि
					2721.86
					रुप

काया प्रति प्रकाशित

प्रभागीय वेनाधिकरी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर


Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

वन विभाग

अनुमान-2

अधिसूचना

24 सितम्बर, 1983 ई०

नं० 997/14-2-20-23-82-अधिसूचना संख्या 23(2)--96/14-अ-67, दिनांक 13 मार्च, 1968 द्वारा विनियम अनुसूची 'क' में निश्चित मुनि की भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अर्थात् ओर वन बनाने का अर्थात् किया गया था ;

और उक्त मुनि में अधिकांश के बावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निर्धारित अर्थात् बनाए गए मुनि और मुनि कोई बाड़े स्वीकार नहीं किया गया है; किन्तु अनुसूची 'क' में वंश वयो सीमा तक रिवाजों की गयी है ;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अर्थात् सन्ततियों का प्रयोग करके एकत्रित, दिनांक 14 जनवरी, 1984 ई० अनुसूची 'क' में उल्लिखित वन वयों को आरक्षित वन घोषित करते हैं :-

अनुसूची "क"

पट्टा सं०	समय क्षेत्रफल	सहस्रांश--निर्जातुर		परगना--कलित		वयों का नाम--अर्थात् व वृत्त	
		1	2	1	2	1	2
1		49	3 4 0 30			0 2 0	182 0 14
2		50	2 18 0 31			2 1 0	472 0 3
3		51	2 0 0 33			0 12 0	474 0 3
4		52	3 4 0 39 भाग			0 1 0	487 भाग 0 15
5		53	1 19 0 90			1 16 0	488 0 14
6		54	2 11 0 91			1 1 0	489 भाग 1 1
7		55	3 8 0 92			1 5 0	490 भाग 0 13
8		56	8 14 0 93 भाग			1 15 0	491 भाग 0 18
9		57	2 7 0 94 भाग			1 2 0	492 0 3
10		58	4 0 0 95			1 8 0	493 भाग 2 2
11		59	11 5 0 96			2 6 0	494 3 0 1
12		60	9 10 0 97			1 8 0	495 2 19
13		61	3 0 0 98			1 8 0	496 3 9 0
14		62	9 8 0 99			0 3 0	497 9 4 0
15		63	0 14 0 100			0 18 0	498 2 3 0
16		64	5 12 0 101			0 13 0	499 2 18 0
17		65	2 0 0 102			1 3 0	500 6 12 0
18		66	2 5 0 103			0 14 0	501 1 9 0
19		67	0 12 0 104			1 6 0	502 4 12 0
20		68	0 3 0 105			0 13 0	503 6 1 0
21		69	2 5 0 106 भाग			0 11 0	504 0 1 9
22		70 भाग	2 8 0 107 भाग			8 0 0	505 1 11 0
23		71	0 14 0 108 भाग			1 5 0	506 2 13 0
24		72	0 19 0 109 भाग			1 12 0	507 0 2 0
25		73 भाग	2 2 0 110 भाग			5 8 0	508 0 4 0
26		74	2 11 0 111 भाग			0 13 0	509 1 13 0
27		75	0 3 0 112			32 0 0	510 0 2 0
28		76	1 6 0 113			0 3 0	511 1 2 0
29		77	0 3 0 114			3 21 0	512 0 14 0
30		78	1 0 0 115			0 7 0	513 3 13 0
31		79	1 0 0 116			0 12 0	514 0 14 0

काया प्रति प्रमाणित
प्रभागीय प्रशासकरी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

(Signature)

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

117

भाग 1] उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 1983 ई० (कार्तिक 7, 1905 शक संवत्) 2531

अतएव, अब, उपर अधिमिथम को धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 15 अक्टूबर, 1983 से उपर भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची "क"

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मीरजापुर	मीरजापुर	कंति	छामुदमसगवा	524 नाग	09 1 0	
				525	1 6 0	
				526	73 8 0	
				527	1 0 0	
			योग		174 13 0	
					या	
					109.22 एकड़ या 45.00 हेक्टेयर	

वन सीमावर्क सारिका पत्र/आदाक—डांगर रोटी वन ब्लॉक

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित विस्थापित	अगले स्तम्भ की अनुमानित मुख्यकीय कोण		अगले स्तम्भ तक नापी गई दूरी जरीय में	अगले स्तम्भ तक की सीमा की बसा	विशेष विवरण
			अधिम	बाध्य			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम छामुदमसगवा एवं पतुलवा की सीमा पर	उ०पू०उ०	36.30	216.30	7.80	सीधी लाइन	
2	गाटा संख्या 524 तथा 521 के मेट्र पर	पू०उ०पू०	73.00	253.00	10.00	"	
3	गाटा संख्या 524 तथा 523 के मेट्र पर	"	70.00	250.00	5.00	"	
4	गाटा संख्या 524 के मेट्र पर	"	70.00	250.00	5.00	"	
5	गाटा संख्या 524 तथा 522 के मेट्र पर	पू०उ०पू०	126.00	408.00	6.60	"	
6	गाटा संख्या 524 तथा 527 के मेट्र पर		आगे मिरजापुर का जंगल है।				

हस्ताक्षर प्रमाणित
 प्रभागीय घनाधिकारी
 मीरजापुर - वन प्रभाग
 मीरजापुर

34.40

Manager (Tech.),
 PIU, Varanasi